

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक.....

संख्या-13/वरीय नि० सं०-03/2022 का०-...../श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धनबाद को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2001 के नियम-7(b) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर नियमित नियुक्ति के पश्चात् प्रभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वेतनवृद्धि (न्यूनतम 250/- रुपये, अधिकतम 500/- रुपये) की स्वीकृति दी जाती है।

2. श्री श्रीवास्तव की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में नियुक्ति की तिथि 25.06.2013 है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(आसिफ हसन)

सरकार के उप सचिव।

जापांक- 13/वरीय नि० सं०-03/2022 का०-.....4550...../राँची दिनांक.....25/07/2022.....

प्रतिलिपि:- श्री आसिफ हसन, उप सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को ई-गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।